न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड R.A.S

प्रार्थना पत्र सं 487/2016

उनवान

श्रीमति मिश्री देवी वगै० बनाम श्रीराम वगै०

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री दर्शन सिंह एड० - प्रार्थीगण सं 1 ता 4
श्री सत्यनारायण यादव एड० " सं 5 ता 6
श्री रामकुवार गुर्जर एड० अप्रार्थी सं- 1
श्री कुंज बिहारी शर्मा एड० अप्रार्थी सं 2 ता 4
श्री रामसिंह गुर्जर एड० अप्रार्थी सं 5 ता 8

आदेश दिनांक 12-4-2017

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने बताया कि विवादित भूमि ख० न० 4560, 4606, 2840, 2841 2852 से 2855, 2858, 2859, 4372, 4515 से 4519, 4543 से 4545 4529, 2806, 4549, 4343/1, 4558/1, 4619, 4620/2, 4563, 4620/1, 4599, 4619 तन ग्राम प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना में स्थित है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं। के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खातेदारी के हिस्से को लगातार काबिज काश्त करते आये है। उक्त पैत्रिक भूमि प्रार्थीया सं। के पति एवं प्रार्थीयागण के पिता अप्रार्थी सं। श्रीराम के नाम राजस्व रिकार्ड मे विरासत के अनुसार खातेदारी दर्ज हुई है। पैत्रिक कृषि भूमि पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की अनुसूचि के अनुसार अप्रार्थी सं। के नाम दर्ज खातेदारी मे 7/8 हिस्सा के खातेदार है। प्रार्थीया सं। ग्रामिण दर्शीन महिला है जिसकी प्रार्थीगण 2 ता 6 एवं अप्रार्थी सं 12 नाबालिग

उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना (सीकर)

सन्तान है। प्रार्थिया नं०1 का पति अप्रार्थी नं०1 सीधा सादा एवं भोला आदमी है। अप्रार्थी नं०1 बिमार रहता है। प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि बाबत कोई मुख्तयारी विक्रय पत्र तस्दीक करा भी ले तो प्रार्थीगण के हिस्से तक प्रथमतः प्रभाव शून्य है। अप्रार्थी सं. 1 के और तीन भाई अप्रार्थी के पिता के समय से ही अलग हो गये थे। अप्रार्थीगण सं 2 ता 8 धमकी देते है हमारे पास लिखावट है हम आपको बेदखल कर देंगे। प्रार्थीगण की उक्त सम्पूर्ण पैतृक भूमि को किसी भी प्रकार से अप्रार्थी स.1 को विक्रय करने का अधिकार नही है। अतः अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण की पैतृक कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना मे स्थित अप्रार्थी सं०1 के पूर्वज प्रभू उर्फ प्रभात की मृत्यु के बाद आई विरासत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी मे प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे कोई व्यवधान पैदा ना करे न ही मुख्तयारी विक्रय पत्र अप्रार्थी स.1 तस्दीक करे यदि प्रार्थीगण के हिस्से का मुख्तयारी विक्रय पत्र तस्दीक करा लिया है तो वह प्रार्थीगण के प्रति प्रथम दृष्टया शून्य हो। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने 2012 (2) DNJ (RAJ) 573 व RRD 1981 पेज 512 नजीर पेश कि।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी न.1 ने बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि विरासत से प्राप्त है तथा विवादित कृषि भूमि मिन उत्तरदाता के पिता प्रभू उर्फ प्रभात से अर्जित है। अप्रार्थी न०1 का उक्त पैतृक भूमि मे 1/4 हिस्सा है। वर्तमान में उक्त हिस्से की भूमि में गेंहू चना जौ की फसल काश्त कर रखी है। मिन उत्तरदाता ने कभी भी किसी प्रकार का कोई विक्रय पत्र उप पंजियन कार्या. नीमकाथाना में तस्दीक नही करवाया है ना ही विक्रय पत्र मे अंकित राशि प्राप्त की है। अप्रार्थी न.1 ने मूलाराम से कोई लेनदेन नही करवाई है। अप्रार्थी न०1 सीदा साधा भोला व्यक्ति है।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी न 2 ता 4 ने बताया कि अप्रार्थी न० 2 ता 4 व अप्रार्थी स.1 ने मिलकर हमारी पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए रुपयो कि आवश्यकता होने के कारण भूमि विक्रय की है।

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

अप्रार्थीगण सं 5 ता 8 ने भूमि खरीदने के पश्चात प्राप्तहक्के के अनुसार मौके पर एक गाव बनाकर पुख्ता सीमांकन किया हुआ है। विक्रय लेखो को शुन्य घोषित कराये जाने के तथ्य दर्ज किये गये है ऐसी सहायता के लिए प्रार्थना पत्र सुनवाई का अधिकार मान० न्याया० को नही है। अत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है। दौराने बहस दस्तावेजात की सूची के साथ दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

दौराने बहस वकील अप्रार्थीसं5ता8 ने बताया कि मेरे जवाब की मद नं० 2 मे अंकित भूमि पैत्रिक नही है वो श्रीसाराम की अकेले की भूमि है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के सेक्शन 8 के अनुसार पत्नी का शेयर नही होता है। कर्त्ताखानदान परिवार की आवश्यकताओ की पूर्ति करने के लिए जमीन बेच सकता है जिसको चैलेन्ज नही किया जा सकता। पंजिकृत दस्तावेज को सक्षम न्यायालय द्वारा जब तक निरस्त नही करवाया जाता उसके बिना सहायता नही दी जा सकती है। विक्रय पत्र गलत करवाया गया है तो प्रार्थीगण हमारे खिलाफ पुलिस मे एफ० आई आर दर्ज करवाते। अप्रार्थी नं० 1 को भोला किस्म का व्यक्ति बताया जबकि अप्रार्थी नं० 1 ने उसी दिन स्वयं ने भी जमीन खरीदी है। प्रार्थीगण का पूर्व से 1/9 हि० बनता है जबकि 1/4 हि० तो हक त्याग के पश्चात बनता है। प्रार्थीगण ने तथ्य छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण मान० न्याया० मे क्लीनहैंड से नही आये है। मिन उत्तरदाता गण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण चलने योग्य ही नही है। प्रार्थीगण ने बदनियति पूर्वक भूमियो को क्रेतागण के नाम खातेदारी दर्ज होने से रोकने की दुर्भावना से अप्रार्थी सं० 1 के साथ साजिश कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो उत्तरदातागण के विरुद्ध चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र मे विक्रय लेखो को शुन्य घोषित कराये जाने के तथ्य दर्ज किये गये है ऐसी सहायता के लिए प्रार्थना पत्र सुनवाई का अधिकार मान० न्यायालय को नही है अत० प्रथम दृष्टया ही खारीज होने योग्य है। अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण सं 5 ता 8 ने MADRAS High Court की नजीर पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

बहस वकुलाय उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम पीथमपुरी की जमाबंदी सं 2071 से 2074 के अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख०न० 4560 व 4606 की खातेदारी प्रभात पुत्र गणेश हि० 1/5 तथा ख०न० 2840 2841 2852 से 2855 2858 2859 की खातेदारी प्रभू पुत्र गणेश कौम गुर्जर तथा ख०न० 4515 4516, 4517 की खातेदारी प्रभू पुत्र गणेश हि० 101/152 तथा ख०न० 4543 से 4545 की खातेदारी प्रभू पि० गणेश कौम गुर्जर सा० डेह एवं ख०न० 4529 की खातेदारी प्रभात पुत्र गणेश, सरदार पि० ह पि० भगवाना पोखर पु० झूथा कौम गुर्जर सा० डेह ख०न० 2806 की प्रभात पुत्र गणेश कौम गुर्जर ख०न० 4549 मे प्रभात पुत्र गणेश कौम गुर्जर हि० 52/133 दर्ज रिकार्ड थी। ~~[illegible]~~ उपरोक्त भूमि की खातेदारी नामा० स० 656 दिनांक 5-8-2016 विरासत से खाता घासीराम, गुल्लाराम, हरीशचन्द्र श्रीराम पि० प्रभू उर्फ प्रभात, भवरीदेवी कमली देवी धोली देवी सोनी देवी रुकमणी देवी पुत्रीया प्रभू उर्फ प्रभात कौम गुर्जर के नाम नामा० स्वीकार हो गया था जिसके पश्चात पाचो बहिनो द्वारा दिनांक 5-8-16 को अपने हिस्से मे आई भूमि का अपने चारो भाईयो के हक मे हकत्याग कर दिया गया जिसका नामा० स० 657 भरा गया। दूसरी - जमाबंदी सं 2071 से 2074 के अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख०न० 4563 4620 की खातेदारी घीसा पुत्र प्रभू कौम गुर्जर सा० डेह ग्राम पीथमपुरी के नाम दर्ज है। एवं ख०न० 4562 4566 ~~[illegible]~~ तन ग्राम पीथमपुरी की खातेदारी घीसा पुत्र प्रभू कौम गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो घीसाराम को पृथक से आवंटित हुई थी। उक्त रिकार्ड से यह तो स्पष्ट है कि भूमि ख०न० 4562 4563 4620/1, 4566/2 कुल रकबा 2.53 हे० की खातेदारी प्रभू उर्फ प्रभात पुत्र गणेश कौम गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड नही है। जिससे यह स्पष्ट है कि यह भूमि पैत्रिक नही है। घीसा पुत्र प्रभू के नाम दर्ज भूमि के सम्बन्ध मे प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त भूमि कभी प्रभू उर्फ प्रभात पुत्र गणेश कौम गुर्जर के कब्जे काश्त की रही हो। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार इस भूमि का मालिक केवल घीसाराम पुत्र प्रभू कौम गुर्जर है। पत्रावली मे प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया

-5-

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पति व प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि मे कुछ भूमि का बेचान किया है जो विक्रय पत्र से साबित है। प्रार्थीगण व प्रार्थीया द्वारा अपने पूर्वजो की पैत्रिक सम्पति मे जो घोषणा चाही गई है या जो हिस्सा चाहा गया है जो भूमि प्रभू उर्फ प्रभात के फौत होने पर विरासत मे प्रार्थीया सं. 1 के पति व प्रार्थीगण सं. 2 ता 6 व अप्रार्थी सं. 12 के पिता के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हो चुकी है जिसके पश्चात अप्रार्थी सं. 1 ने भूमियो का जरिए विक्रय पत्र के अनुसार बेचान किया है। जहाँ तक रजि० विक्रय पत्र प्रभाव शून्य घोषित किये जाने का प्रश्न है जो अधिकार न्यायालय हाजा को न होकर मान० सिविल न्यायालय को है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जब तक रजि० विक्रय पत्र आदि दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवाया जाता है तब तक इस न्यायालय द्वारा कोई सहायता प्रदान किया जाना उचित नही है। ना ही प्रार्थीया या प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड पेश किया गया है कि रजि० विक्रय को सक्षम न्यायालय मे निरस्त कराने बाबत चारा जोही कि हो। अप्रार्थीगण भूमि के रिकार्डेड खातेदार है जिन्हे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। प्रकरण मे समस्त रिकार्ड के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थीया व प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 12 के पक्ष मे होना नही पाया जाता है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर भी प्रकरण पर चस्पा नही होती है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहे है। अत: प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.4.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 12.4.17

(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)